

**परियोजना निदेशक का कार्यालय,  
समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।**

**अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 06/2017-18**

समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निम्नांकित कार्य के लिए परिमाण विपत्र पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

01	विभाग	कल्याण विभाग, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
02	विज्ञापनदाता का नाम	परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
03	परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि	दिनांक-16.04.2018 से 18.04.2018 तक कार्यालय अवधि में।
04	निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक-20.04.2018 को अपराह्न 01.00 बजे तक।
05	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक- 20.04.2018 को अपराह्न 04.00 बजे
06	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
07	निविदा प्राप्ति का स्थान	आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

**08. कार्य की विवरणी**

क्र0	प्रखंड का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
01	जमशेदपुर	मदरसा फ़ैजुल उलूम, धातकीडीह, जमशेदपुर में 30 शैय्या अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण।	39,00,000.00	80,000.00	5,000.00	09 (नौ) माह

**निविदा की शर्तें :-**

विशेष शर्तें आम शर्तों पर अवक्रमण होगा।

परिमाण विपत्र क्रय हेतु निम्नांकित शर्तों को पूरा करना होगा।

01. भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग में से दोनों अथवा किसी एक विभाग में निबंधित संवेदक ही निविदा में हिस्सा ले सकेंगे। परिमाण विपत्र के क्रय हेतु निबंधन पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
02. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो वापस नहीं होगा) राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से देय होगा।
03. कार्य आवंटन में स्थानीय संवेदकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
04. कार्य आवंटन में समुचित श्रेणी के संवेदकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
05. कार्य आवंटन में अनुभवी संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
06. निविदादाता को योजना से संबंधित Work Program देना अनिवार्य होगा।
07. किसी भी परिस्थिति में योजना प्राक्कलन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।
08. निविदा के साथ जमा की जानेवाली अग्रधन की राशि जो परिमाण विपत्र में अंकित है (दो प्रतिशत निकटतम हजार रुपये में परिवर्धित) डाक घर के 05 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र या 3/5 वर्षीय डाक घर सावधि जमा पासबुक या बैंक सावधि जमा पासबुक समर्पित करना अनिवार्य होगा, जो परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा।
09. निविदा हेतु निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. डीजल, पेट्रोल अथवा कार्य में प्रयुक्त अन्य सामग्रियों की कीमत में वृद्धि होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।


11. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा, लेकिन किसी प्रकार का अंतर मूल्य का दावा मान्य नहीं होगा।
12. निर्माण कार्य में उपयोग हेतु लघु खनिजों की आपूर्ति संवेदक को वैद्य श्रोत से सुनिश्चित करना अनिवार्य है, एवं एतद विषयक खनन विभाग द्वारा जारी स्वामित्व अदायगी से संबंधित स्वच्छता प्रमाण-पत्र समर्पित करने के उपरांत ही नियमानुसार विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
13. समुचित गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री यथा-सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू ईत्यादि निर्माण सामग्री की व्यवस्था कर संवेदक को अपने स्तर पर आपूर्ति करनी होगी। आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर किसी भी निर्माण सामग्री की व्यवस्था नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में अंतर मूल्य भुगतान नहीं होगा।
14. परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत कम दर से नीचे का दर मान्य नहीं होगा।
15. निविदादाता जिन्हें कार्य आवंटित होगा वे कार्य सबलेट नहीं करेंगे।
16. कार्य आवंटित होने के पश्चात सात दिनों के अंदर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा निविदा को रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
17. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार या एक से अधिक संवेदक को कार्य आवंटन का अधिकार अधोहस्ताक्षरी या विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
18. निविदा के साथ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण-पत्र, बिक्रीकर स्वच्छता प्रमाण-पत्र/जी0एस0टी रिटर्न प्रमाण-पत्र एवं पैन कार्ड का अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व ही कार्य एवं कार्यस्थल की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे।
20. समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार राशि कटौती कर ली जाएगी, विशेष परिस्थिति में ही समय वृद्धि मान्य होगी।
21. 01 (एक) प्रतिशत राशि लेवर सेस वेलफेयर फंड हेतु विपत्र से कटौती किया जाएगा, जो वापस देय नहीं होगा।
22. आयकर एवं बिक्रीकर की राशि विपत्र से नियमानुसार कटौती की जाएगी जिसका समर्पण एवं वापसी की प्रक्रिया संबंधित विभाग से ही करा सकेंगे।
23. योजना प्रारंभ करने से पूर्व, योजना कार्यान्वयन के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत स्थल का फोटोग्राफी कराकर संवेदक तीन तीन प्रतियों में कार्यालय में (अपनी लागत से) समर्पित करेंगे।
24. कार्यान्वित की जा रही योजना का स्थल पर सुगोचर स्थान पर एक सूचना पट लगाया जाएगा जिसमें योजना का नाम एवं पूरी विवरणी अंकित की जाएगी।

२०/  
परियोजना निदेशक,  
आई0टी0डी0ए0,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक-.....689...../क0 दिनांक- 05.04.18

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
परियोजना निदेशक,  
आई0टी0डी0ए0,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।